मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास) विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमति बालवाराजेश्वरी) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान 248 स्वैच्छिक संगठनों ने केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड से 50 प्रतिशत अनुदान की शेष राशि प्राप्त नहीं की हैं ।

(ख) कुछ विनिश्चत दस्तावेज जैसे लेखापरीक्षित लेखे तथा राज्य बोर्डों से टिप्पणियां आदि के प्राप्त न होने के कारण शेष अनुदान राशि निर्मुक्त नहीं की गई ।

(ग) वर्तमान में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के पास कोई राशि शेष नहीं हैं ।

(घ) संबंधित स्वैच्छिक संगठनों को अपेक्षित सूचना तथा दस्तावेज प्रस्तुत करनें के लिये कहा गया है ।

महिलाओं से सम्बंधित कानूनों की समीक्षा

4944. श्री अजीत जोगी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नें हाल ही में महिलाओं से संबंधित कानूनों की समीक्षा की हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इनमें कुछ कामियां पाई गई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी कमियां को दूर करने के लिये इन कानूनों में संशोधन करनें का विचार रखती हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री श्रीमति बालवा राजेश्वरी (क) से (घ) विषयों के आवंटनके आधार पर महिलाओं से संबंधित कानूनोंपर विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा कार्रवाई की जाती है । कानूनों की संवीक्षा एक सतत प्रक्रिया है । राष्ट्रीय महिला आयोग को, महिलाओं को संवैधानिक एव कानूनी सुरक्षा उपलब्ध कराने वालें विभिन्न कानूनों की जांच करने का कार्य सौंपा गया हैं । आयोग की सिफारिशें संबंधित मंत्रालय/विभाग को भेजी जाती हैं । महिला एवं बाल विकास संबंधित मन्त्रालय/विभाग के परामर्श से चार विधानों की संवीक्षा कर रहा हैं जिनसे वह संबंधित हैं– यथा दहेज (निषध) अधिनियम, 1961, सती (निवारण) अधिनियम, 1987, स्त्री अशिष्ट निरूपण (निवारण) अधिनियम 1986 एवं अनतिक पणन (दमन) अधिनियम 1956 ।

Deteriorating condition of Jallianwaia Bagh

4945. SHRI VIRENDRA KATA-RIA : Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVEOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Jallianwaia Bagh at Amritsar is reduced to a way side public park and it is not being properly maintained as a dignified memorial;

(b) whether the management at Amritsar feel handicapped by paucity of funds; and

(c) whether on 13th April, 1994, payment of Rs. two crore for the upliftment of the memorial was announced by H.R.D. Minister on behalf of the Prime Minister but most of the amount has not been released yet, if so, the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE) (KM. SELJA): (a) No, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Yes, Sir. No separate funds were provided in the budgetary provisions for 1994-95 and savings of this extent were not available during 1994-95.